जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, पौड़ी गढ़वाल

flxjsV vkSj vU; rEckdw mRikn (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, Ánk; vkSj forj.k dk fofu;euû vf/kfu;e] 2003 & dksVik] 2003

lkf{klr ifjp;

धारा 4– सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध

1- सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि :

¼d½ dksbZ Hkh 0;fDr lkoZtfud LFkku ij /kwezikku u djs ¼mlds {ks=kf/kdkj@vf/kdkjh dh v/khu½

(ख) सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थान) पर बोर्ड प्रमुख रूप में लगाया जाना चाहि,A

¼x½ /kwezikku dk lafo/kkfud cukus okyh fdlh Hkh ,LV~s ekfpl] ykbVj ;k blh Ádkj dh fMtkbu dh xbZ oLrq dk lkoZtfud LFkku ij miyC/k ugha djok;k tkuk pkfg,A

¼2½ lkoZtfud LFkku dk ekfyd] ÁksijkbVj] ÁcU/kd] i;Zos{kd ;k ekeyks dk ÁHkkjh ml 0;fDr ¼0;fDr;ksa½ tks ***इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, का नाम अधिसूचित करेगा और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।***

¼3½ ;fn lkoZtfud LFkku dk ekfyd] ÁksijkbVj] ÁcU/kd] i;Zos{kd ;k Ákf/kÑr vf/kdkjh ,sls mYya?ku lwpr djus ij dk;Zokbl djus es vlQy jgrk gS rks ekfyd] ÁksijkbVj] ÁcU/kd] i;Zos{kd ;k Ákf/kÑr vf/kdkjh 0;fDrxr vijk/kks dh la[;k ds lerqY; tqekuk vnk djus dk ftEesnkj gksxkA

gksVy] jsLrjka ,oa gokbZiRru esa /kwezikku ls lEcaf/kr

¼1½ rhl ;k vf/kd dejk okys gksVy ;k rhl 0;fDr;ksa ds cSBus dh {kerk okys jsLrjka dk ekfyd] Lokeh] ***प्रबंधक या कार्य प्रभारी तथा हवाईपत्तन का प्रबंधक यथापरिभाषित धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान की व्यवस्था कर*** *ldrk gSA*

(2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल, रेस्तरा और हवाईपत्तन के प्रवेश द्वार या निकास *}kj ij LFkkfir ugha fd;k* ***जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो लागू हो, में ''धूम्रपान क्षेत्र'' के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित*** *fd;k tk,xkA*

¼3½ /kwezikku {ks= ;k LFkku dk bLrseky /kwezikku ds Á;kstukFkZ gh fd;k tk,xk vkSj dksbZ vU; ¼lsok½ lsokvksa dh vuqefr ugha nh tk,xhA

¼4½ rhl ;k vf/kd dejk okys gksVy dk ekfyd] Lokeh] ÁcU/kd] i;Zos{kd ;k dk;Z ÁHkkjh fu/kkZfjr rjhdk ls ***पृथक धूम्रपान कमरों को नामोद्दिष्ट कर सकता है।***

‘‘सार्वजनिक स्थान’’ की परिभाषा

^^lkoZtfud LFkku^^ ls ,sls dksbZ LFkku vfHkÁsr gS tgka turk dh igqap gks] pkgs lkf/kdkj gks ;k u gks vkSj blds varxZr lHkkxkj] vLirky Hkou] jsy Árh{kky;] vkeksn **केन्द्र, भोजनालय, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थाएं, पुस्तकालय, लोक वाहन, जन–सुविधा** dUnj] **खुला सभागार, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप/स्टैंड, समस्त कार्य स्थल, जलपान गृह, बैंक्वेट हॉल, डिस्को केन्द्र, कैंटीन, कॉफी हाउस, पब्स, बार, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, एअरपोर्ट लाउंज और ऐसे स्थान भी हैं जहां** lk/kkj.k turk dk vkuk&tkuk gksrk gS] fdUrq blds varxZr dksbZ [kqyk LFkku ugha gSA

<u>mYya?ku djus ij n.M</u>

<u>/kkjk 21 ds vuqlkj</u>

- *tks dksbZ /kkjk 4 ds micU/kksa dk mYya?ku djsxk] og tqekZus ls tks :- 200@& nks lkS :i, rd dk gks ldsxk] nf.Mr; gksxkA*

इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के *fy, micfU/kr ÁfØ;k ds vuqlkj laf{kIr fopkj.k fd;k tk,xkA*

<u>Pksrkouh cksMZ dh cukoV</u>

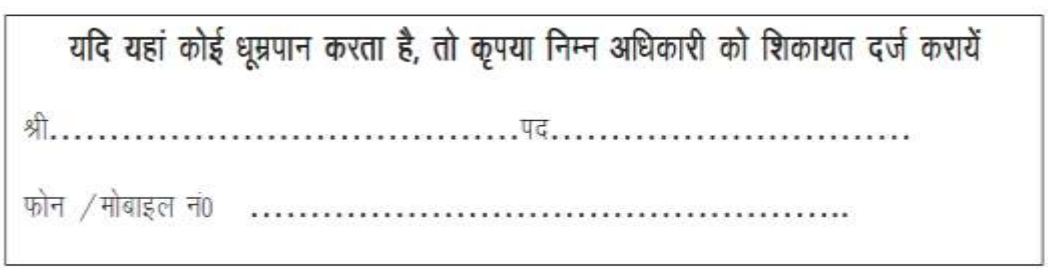

चेतावनी बोर्ड का विनिर्देशन

- *cksMZ U;wure 60lseh0 **X** 30lseh0 vkdkj dk lQsn i"BHkwfe dk gksxk A*
- *bLkesa de ls de 15 lseh0 ckg; dk ,d pØ gksxk ftlds de ls de 3lseh0 pkSMh yky ifjfefr gksxh] ftlds ØUnz esa dkys /kq,a ds lkFk flxjsV vFkok chMh dk fp= gksxk vkSj ;g yky iV~Vh ls jsf[kr gksxk A*

- *flxjsV ds vkj ikj yky iVVh dh pkSMkbZ yky ifjfefr dh pkSMkbZ ds cjkcj gksxh A*
- *cksMZ ij vuqxzsth esa vFkok fdlh Hkkjrh; Hkk"kk esa tks ykxw gks psrkouh gksxh] ¼/kwezikku fu"ks/k {ks= & ;gka /kwezikku djuk vijk/k gSA½*

धारा 6क –अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तथा उसके द्वारा तम्बाकू उत्पादो dh fcØh ij Áfrca/k

- *सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी यह सुनिश्चित djsxk fd&*

(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल के प्रवेश द्वार परयथा विनिर्दिष्ट चेतावनी वाला एक cksMZ yxk gks

(ख) वेंडिंग मशीन के tfj, dksbZ Hkh rEckdw mRikn u cspk tk,

(ग) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद का न तो प्रहस्तन किया tk,xk vFkok u gh cspk tk,xk

(घ) तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित न किया जाए जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों dks rEckdw mRikn lgtrk ls lqyHk gksA

इस बात को सिद्ध करने कि तम्बाकू उत्पाद का खरीददार अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं है, का उत्तरदायित्व तम्बाकू उत्पादों के विक्रेता का है तथा विक्रेता संदेह की स्थिति में खरीददार से अठारह वर्ष की vk;q iwjh gksus lEcU/kh mi;qDr lk{; vFkok vk;q dk Áek.k Ánku djus gsrq vuqjks/k dj ldrk gSA

धारा 6ख – शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरें में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के बिक्री ij Áfrca/k

¼1½ बोर्ड का प्रर्दशन– शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी कोई व्यक्ति परिसरों के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों) पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि शैक्षिक laLFkk ds 100 xt ds nk;js ds Hkhrj vkus okys {ks= ij flxjsV vkSj vU; rEckdw mRiknksa dh fcØh Áfrcaf/kr gS

¼2½ njh dh eki& 100 गज की दूरी को शैक्षिक संस्था की चारदीवारी बाड़ अथवा जैसा भी मामला हो, की बाहरी lhek ls f=T; ds vk/kkj ij ekik tk,xkA

<u>mYya?ku djus ij n.M</u>

<u>/kkjk 24 ds vuqlkj</u>

¼1½ dksbZ O;fDr] tks /kkjk 6 ds rFkk [k ds mica/kksa dk mYya?ku djsxk] bl vf/kfu;e ds v/khu vijk/k ds लिए दोषी होगा और जुर्माने से, जो रू- 200/- nks lkS :i, rd dk gks ldsxk] nf.Mr gksxkA

(2) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होंगे और उनका दंड ÁfØ;k lafgrk] 1973 e: laf{kIr fopkj.k d: fy, mickf/kr ÁfØ;k d: vuqlkj laf{kIr fopkj.k fd;k tk,xkA

अर्थदण्ड जमा करने का लेखा शीर्षक

olwy: x, vFkZn.M माननीय न्यायलय अथवा किसी भी विभाग के द्वाराद्ध को निम्न लेखा शीर्षक के उप–शीर्षक में tek dh tkuh g%

मुख्य शीर्षक & 210 fpfdRlk rFkk yksd LokLF;
उप मुख्य शीर्षक & 04 yksd LokLF;
लघु शीर्षक & 103 Qhl vkj vFkZn.M vkfn
*उप शीर्षक & **03 धूम्रपान प्रतिषेध के अधीन अर्थदण्ड***

ik:i% vFkZn.M dh jlhn

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

अर्थदण्ड रसीद

रसीद क्रमांक..........................

तिथि..........................

जिला ....

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 की धारा 4 / 6 का उल्लंघन तिथि.......................... स्थान.......................... पर करते हुए पाये जाने के उपरान्त श्री.......................... पिता का नाम..........................पता.......................... ....के द्वारा ₹ .... शब्दों में .... अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त किया ।

उल्लंघनकर्त्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

''जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं''

ik:i% Pkkyku

उत्तराखण्ड शासन

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003

चालान

चालान रसीद क्रमांक..........................

जिला ....

तिथि..........................

1. दोषी व्यक्ति का नाम श्री..........................पिता का नाम..........................
   पता..........................
2. अपराध का दृश्य जिसमें तिथि, समय, स्थान सहित..........................
3. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 (2003 का 34) के तहत अपराध का विवरण..........................
4. जबकि आपके उक्त वर्णित अपराध के लिए एतद्द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, अतः आपको श्री/श्रीमती/सुश्री.......................... स्थान..........................की कोर्ट में तिथि.......................... को..........................बजे अपना उत्तर देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, जब तक कि इस कोर्ट के द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किए जाते।

   दोषी व्यक्ति के बाए हाथ के अंगूठे का निशान/ हस्ताक्षर..........................
   गवाही के हस्ताक्षर नाम तथा पूरा पता सहित..........................
   प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पूरा पता सहित.......................... प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
   ....

''जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं''

/kkjk 5 & flxjsV rFkk vU; rEckdw mRiknksa ds ÁR;{k rFkk vÁR;{k foKkiu] ÁksRlkgu] Ák;kstu पर प्रतिषेध

*¼1½ fdlh Hkh.Mkjxg ;k fdlh ndku] tgka flxjsV ;k fdlh vU; rEckdw mRiknksa dk foØ; dh fy, ÁLFkkiuk की जाती है, के प्रवेश–द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड का आdkj 60 lse0eh0 **X** 45 lse0eh0 ls vf/kd ugha gksxkA*

*(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर किसी भारतीय भाषा में, जों लागू हो, निम्नलिखित चेतावनियों में से एक, बोर्ड के शीर्ष किनारे पर प्रमुख रीति से, जिसकी माप 20 lse0eh0 **X** 15 lse0eh0 esa gksxh] vFkkZr%&*

¼d½ rEckdw ls dSalj gksrk gS] ;k
¼[k½ rEckdw ls ekSr gksrh gSA

(3) निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुखता से प्रदर्शित, सुपाठ्य और सफेद पृष्ठभूमि पर केवल काले रंग से लिखी gksxhA
¼4½ cksMZ ij miyC/k rEckdw mRiknksa ds Ádkj dh lwph gksxh vkSj cksMZ ij cksMZ iSdksa ds fp=] rEckdw mRiknksa के ब्रांड या अन्य अभिवृद्धिकारक संदेश या चित्र प्रदर्षित नही किए जाएगें। प्रदर्ष बोर्ड किसी रीति से पीछे से प्रकाशयुक्त या प्रदीप्त नहीं किया जाएगा।

vFkZn.M rFkk lt+k

/kkjk 22 ds vuqlkj

(क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रू- 1000@&¼,d gtkj :i,½ rd dk gks ldsxk vFkok nksuks ls] vkSj

(ख) द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और tqekZuk ls] tks :- 5000@&¼ikap gtkj :i,½ rd dk gks ldsxk] nf.Mr; gksxkA

(ग) अशमनीय तथा जमानतीय होगा

(घ) शिकायती केस (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

धारा 7–तम्बाकू उत्पाद पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के चित्रण से सम्बंधित नियम

¼1½ dksbZ O;fDr] rc rd ÁR;{k :i ls ;k vÁR;{k :i ls] flxjsVksa ;k vU; rEckdw mRiknksa dk mRiknu] Ánku ;k forj.k ugha djsxk tc rd fd flxjsVksa ;k fdlh vU; rEckdw mRiknksa ds ÁR;sd iSdst ;k mlds ycsy ij] tks mlds }kjk mRikfnr fd;k x;k gS] Ánk; fd;k x;k gS ;k वितरित किया गया है, विनिर्दिष्ट psrkouh ugha gS] एक सचित्र चेतावनी सहित ऐसे निर्दिष्ट चेतावनी के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

¼2½ dksbZ O;fDr rc rd flxjsVksa ;k fdUgha vU; rEckdw mRiknksa dk O;kikj ;k okf.kT; ugha djsxk tc rd fd flxjsV ;k vU; rEckdw mRikn ds ÁR;sd iSdst ;k mlds ycsy ij ftlds mlds }kjk foØ;] Ánk; ;k वितरण किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

¼3½ dksbZ O;fDr rc rd eqY;oku ÁfrQy ds fy, ;k forj.k ;k Ánk; ds fy, ;k Hkkjr esa foØ; ds fy, flxjsVksa ;k vU; rEckdw mRiknksa dk vk;kr ugha djsxk tc rd fd mlds }kjk bl Ádkj vk;kfrr flxjsVksa या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

¼4½ ,sls iSdst ds ftlesa flxjsV ;k dksbZ vU; rEckdw mRikn eqY;oku ÁfrQy ds fy, forj.k] foØ; ;k Ánk; gsrq iSd fd, x, gSa ogRre पैनलों में से कम–से–कम एक पैनल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दृश्यमान होगी।

¼5½ dkbZ Hkh O;fDr] flxjsV ;k fdUgh vU; rEckdw mRiknksa dk ÁR;{kr% ;k vÁR;{kr% mRiknu] Ánk; ;k forj.k rc rd ugha djsxk tc rd fd mlds }kjk mRikfnr] Ánk; fd, x, ;k forfjr] ;FkkfLFkfr] flxjsV ;k fdUgh vU; rEckdw mRiknksa ds ÁR;sd iSdst ij ;k mlds ycy ij fudksVhu vkSj Vkj varoZLrq को उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सहित उपदर्शित न किया गया हो, परंतु निकोटीन और टार अंतर्वस्तुएं उसकी vf/kdre vuKs; ek=k ls] tks bl vf/kfu;e ds v/khu cuk, x, fu;eksa }kjk fofgr dh tk,] vf/kd ugha gksxhA

vFkn.M rFkk ltk

/kkjk 20

- ¼1½ ,slk dksbZ O;fDr] tks ,sls flxjsV ;k ,sls rEckdw mRiknksa dk mRiknu ;k fofuekZ.k djsxk ftu पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वस्तु ugha nh गई, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में,कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो :- 5000/– (पाँच हजार रूपए) तक का हो सकगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की gks ldsxh vkSj tqekZus ls] tks :- 10000@& ¼nl gtkj :i,½ rd dk gks ldsxk] nf.Mr; gksxkA
- ¼2½ ,slk dksbZ O;fDr] tks ,sls flxjsV ;k rEckdw mRiknksa dk foØ; ;k forj.k djsxk ftu ij ;k rks पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार varoZLrq ugha nh xbZ gS] Áfke दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो रू- 1000/– (एक हजार रूपए) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष rd dh gks ldsxh vkSj tqekZus ls] tks :- 3000@& ¼rhu gtkj :i,½ rd dk gks ldsxk] nf.Mr; gksxkA

/kkjk 5 rFkk 7 gsrq izkf/kd`r vf/kdkjh

bu Ákf/kdkfj;ksa dks ikl dksVik&2003 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तियां होगीः

कमांक	पदनाम	विभाग
1	सीमा–शुल्क और उत्पाद शुल्क के अधीक्षक व इसके ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी	राजस्व विभाग
2	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन विभागों के निरीक्षकों अथवा इससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी	राज्य का राजस्व/स्वास्थ्य/परिवहन विभाग
3	कनिष्ठ श्रम आयुक्त एवं इससे ऊपर	श्रम विभाग
4	संयुक्त निदेशक	उद्योग/लघु उद्योग आयुक्त का कार्यालय

5	पुलिस/राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन का उप–निरीक्षक और इसके ऊपर का एवं पुलिस उप–निरीक्षक के रैंक के समतुल्य कोई अन्य अधिकारी	बीज एवं औषध विभाग एवं गृह कार्य विभाग

/kkjk 5 rFkk 7 ds fy, Áorlu ÁfØ;k

1- Ákf/kÑr vf/kdkjh Lor% ;k /kkjk 5 vFkok 7 ds mYya?ku dh ÁkIr lwpuk ds vk/kkj ij [kkst rFkk tCr fd;s x;s lkeku dks ys tkus ds fy, ,d Nkikekj ny ds xBu ds ckn vkxs c<uk gksxkA ¼/kkjk 12 rFkk 13 dks ns[ks½

2- Nkik ekjus okyh Vhe esa Lo;a Ákf/kÑr vf/kdkjh ds lkFk nks Lora= xokg rFkk ,d iqfyl vf/kdkjh tks **उपनिरीक्षक के समतुल्य हो (वैकल्पिक) को शामिल करेगा।**

3- **धारा 5 या 7 के उल्लंघन के संदेह के कारण पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दल के साथ परिसर में प्रवेश तथा** *[kkst djsxkA*

4- tgka Ákf/kÑr vf/kdkjh dks vijk/k Árीत **होने के कारण विश्वास होता है, प्राधिकृत अधिकारी उल्लंघन** *mRiknks dks tCr djsxk ¼tSls fd fxjQ~rkj rFkk vU; rEckdw mRiknks dh foKkiu lkexzh] rEckdw mRikn] iSdsV vkfn½*

5- Ákf/kÑr vf/kdkjh dks tCr fd;s x;s lkeku dh tCrh Kkiu@jlhn dks ifjlj ds iHkkjh@ ekfyd@ **निवासी को देना आवश्यक होगा।**

6- iapukek dks nks xokgks dh mifLFkfr esa rS;kj fd;k tk;sxk] tks viuk c;ku esa tCr fd;s x;s lkeku rFkk LFkku dk o.kZu djsxsA **(परिशिष्ट–1)** *tCr fd;s x;s fxjQ~rkj rFkk vU; rEckdw mRikn dh foKkiu lkexzh@iSdsV@lkeku dks lhy djds j[kk tk;sxk] tgka ;g lhy ekfyd@ fuoklh@ ifjlj dk ÁHkkjh rFkk nks xokgks dh mifLFkfr esa dh tk;sxhA*

7- Ákf/kÑr vf/kdkjh ds }kjk fxjQ~rkj ;k vU; rEckdw mRiknks ds iSdsV@foKkiu lkexzh@ lkeku dk vf/kxg.k fd;k x;k gS] vfHkxg.k dh rkjh[k ls uCcs fnu ls vf/kd dh vof/k ds fy, rc rd Ákfr/kkj.k ugha **किया जायेगा। जब तक कि उस जिला न्यायाधीश का जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा** *vfHkxg.k fd;k x;k Fkk] ,sls Áfr/kkj.k ds fy, vuqeksnu vfHkÁkIr ugha dj fy;k x;k gksA ¼/kkjk 13 ¼2½dks ns[ks½*

8- Ákf/kÑr vf/kdkjh dks tCr lkexzh dh tCrh ds fy,] LFkkuh; lhekvksa ds Hkhrj eqy {ks=kf/kdkj ds **प्रमुख सिविल कोर्ट के जिला न्यायधीश के समक्ष, जिसके अधिकार क्षेत्र की सामग्री को जब्त किया गया था,** *ÁLrqr djuk gksxkA*

9- dksVik] 2003 dh /kkjk 7 ds mYya?ku ds fy,] tCrh fd;s x;s fxjQ~rkj ;k vU; rEckdw mRiknks ds fdlh iSdsV ds ekeys esa] rc rd mldk U;k;fu.kZ;u djus okyk **न्यायालय, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट की जा,]** *mlds Lokeh dks vf/kgj.k ds cnys esa mldh ykxr dk] tks vf/kgr eky ds eqY; ds cjkcj gksxh] lank; djus dk fodYi ns ldsxkA ¼/kkjk 15 dks ns[ks½*

10- अधिहरण का न्यायनिर्णयन करने या लागत का संदाय करने का निर्देश देने वाला कोई आदेश तब तक नहीं fd;k tk;sxk tc rd fd flxjsV ;k vU; rEckdw mRikn ds iSdst ds Lokeh ;k ,sls O;fDr dks] ftlds dCts esa og gS] ,d fyf[kr lwpuk u nh xbZ gks ftlesa mls mu vk/kkjksa dh lwpuk nh x;h gks ftu ij ,sls iSdst dk vf/kgj.k djuk ÁLrkfir gS vkSj mls vf/kgj.k ds fo:) lwpuk esa fofनिर्दिष्ट युक्तियुक्त समय के भीतर fyf[kr vH;konu djus dk Áfr;qDr dk volj u ns fn;k x;k gks vkSj ;fn og ,slh okaNk djs] rks O;fDxr रूप से या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उस विषय में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो। ¼/kkjk 18 dk n[k½ fcUnq 10 rFkk 11 dsoy /kkjk 7 ls lEcaf/kr gSA

11- अधिहरण या लागत का भुगतान करने के आदेश के बाद , प्रभावित व्यक्ति को किसी भी सजा से दीवानी U;k;ky; dh vnkyr dh lt k ugha jksdrk gSA ftl ls dkVik ds Áko/kkuksa ds rgr ;k fdlh vU; dkuwu ds तहत दोषी है। खोज तथा अधिहरण करने वाला अधिकारी, उस अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायेगा, जिस क्षेत्र में पंजीकृत की गयी आपराधिक शिकायत पर पुलिस अधिकारी अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 ds Áko/kkuksa ds vuqlkj mfpr dk;Zokgh djsxkA

- *Ákf/kÑr vf/kdkjh dkVik dh /kkjk 20 ;k 22 ds varxZr मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष एक शिकायत nt Z djk;sxkA*
- *Ákf/kÑr vf/kdkjh dks /;ku j[kuk gksxk fd ;g vijk/k dkVik dh /kkjk 5 vkSj 7 ds rgr fd;k x;k है। इसके लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन Ánk; vkSj forj.k½ fu;e] 2004 rFkk iSdsftax rFkk yscfyax 2008 dks n[ks] यह अपराध शमनीय ugha gSA*
- *प्राधिकृत अधिकारियों को प्रत्येक अपराध के खिलाफ कार्यवाही तथा रिकार्ड करने की आवश्यकता है, कोटपा के अंतर्गत द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्ध की दशा में, सजा में बड़ोत्तरी की गयी है।*

राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर के टोल फ्री सहायता लाइन/ऑन लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली पर शिकायत की सूचना दी जा सकती है

1800 110 456

या जैसा नियमों में उल्लेख है, उस प्राधिकृत अधिकारी को भी शिकायत की सूचना दी जा सकती है।